भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2954

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति

2954. श्री जसवंत सिंह भाभोरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेष रूप से गुजरात के दाहोद जिले में लोगों को पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) गुजरात के दाहोद जिले में लोगों को पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्लयूएएसएमओ) योजना के अंतर्गत कितनी निधि आबंटित की गई है; और
(घ) उक्त जिले में पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल राज्य का विषय है। जैसा कि गुजरात की राज्य सरकार ने सूचित किया है, दाहोद जिले के सभी गांवों को मानदंडों के अनुसार **40** लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की सेवा स्तर से कवर कर लिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्ल्यूएएसएमओ) स्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियां निम्निलखित हैं:-

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2016-17	6.40
2017-18	15.12
2018-19	15.98

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दाहोद जिले में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीमें - 7
- वैयक्तिक जल आपूर्ति स्कीमें - 562
- मिनी नल जल आपूर्ति स्कीमें - 1718
- हैंड पंप - 43134